न्यायालय सहायक कलक्टर रियांबड़ी जिला नागौर
बईजलास श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस
राजूदेवी बनाम अंजू ईनाणी वगैरहा
मुकदमा संख्या 72/2024

प्रार्थी :–
1– राजूदेवी पत्नि तुलसीराम जाति जाट निवासी लाम्पोलाई, तहसील रियांबड़ी जिला नागौर

अप्रार्थीगण :–
1– अंजू ईनाणी पत्नि देवेन्द्र ईनाणी
2– अरूण कुमार ईनाणी पुत्र कैलाशचंद ईनाणी
3– कैलाशचंद ईनाणी पुत्र मुलचंद जातियान माहेश्वरी, निवासीगण मेवड़ा, तहसील डेगाना जिला नागौर
4– तहसीलदार रियांबड़ी
5– पटवारी हल्का लाम्पोलाई
6– राजूराम डांगा पुत्र दुर्गाराम जाति जाट निवासी पादुखुर्द तहसील रियांबड़ी जिला नागौर।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–क– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक :– 07/11/2024

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को प्रस्तुत कर निम्नलिखित निवेदन किया कि :–

1–यह है कि ग्राम लाम्पोलाई की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 185 रकबा 0.0700 हैक्टेयर प्रार्थीया की खातेदारी के अधिकार का काश्त कब्जासूदा आया हुआ है तथा वाके मौजा लाम्पोलाई की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 187 रकबा 5.5200 हैक्टेयर का अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी अधिकार का काश्त व कब्जासुदा आया हुआ है।

2–यह है कि प्रार्थीया का खेत व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 का खेत एक दूसरे के चिपते आये हुए है। जिसमें से प्रार्थीया, अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के खातेदारी खेत खसरा नंबर 187 के उत्तरी कोने से होकर पश्चिम व दशिणी माठ के सहारे सहारे अपने खेत खसरा नंबर 185 में आने जाने हेतु रास्ते की मांग करते हुए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

3–यह है कि प्रार्थीया मौजा लाम्पोलाई में अपने खेत खसरा नंबर 185 रकबा 0.0700 हैक्टेयर में आने जाने के लिए रास्ता खसरा नंबर 170 से होकर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के खातेदारी खेत खसरा नंबर 187 रकबा 5.5200 हैक्टेयर के उत्तरी कोने से होकर पश्चिम व दशिणी माठ के सहारे सहारे प्रार्थीया अपने खेत खसरा नंबर 185 रकबा 0.0700 हैक्टेयर मे आने जाने के लिए 20 फुट चौड़ा मार्ग प्राप्त किये जाने का प्रार्थीया अधिकारिणी होने का निवेदन किया है। इसके अलावा प्रार्थीया के पास उक्त मार्ग के अलावा अन्य कोई मार्ग की व्यवस्था नही होना बताया गया है। प्रार्थीया को अपने खेत में आने जाने हेतु भारी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। यह कहना सुसंगत रहेगा की प्रार्थीया पूर्व से ही उक्त रास्ते से ही अपने खेत खसरा नंबर 185 में काश्त कार्य हेतु आती जाती रही है। लेकिन अब अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 प्रार्थीया की उक्त मार्ग से आने जाने, उक्त रास्ते का उपयोग व उपभोग करने में दखल करते हुए मना कर रहे है। जिसस कारण से प्रार्थीया द्वारा मौजा लाम्पोलाई में रास्ता खसरा नंबर 170 से होकर प्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के खातेदारी खेत खसरा नंबर 187 रकबा 5.5200 हैक्टेयर के उत्तरी कोने से होकर पश्चिम व दशिणी माठ के सहारे सहारे अपने खेत खसरा नंबर 185 रकबा 0.0700 हैक्टेयर में आने जाने के लिए रास्ता की मांग हेतु उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है।

4–यह है कि उक्त खसरा में आने जाने के लिए इसके अलावा अन्य कोई अल्ट्रनेट रास्ता मौजूद नही है केवल मात्र एक मांग किया गया रास्ता की प्रार्थीया के खेत में आने जाने के लिए होना अवगत करवाया गया है।

5–यह है कि प्रार्थीया को अपने काश्त कार्य करने व आवागमन हेतु अपने ट्रेक्टर, हल, गाड़ी, छकड़ा, जानवर इत्यादि लाने लेजाने के लिए अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 मना करते है तथा प्रार्थीया से लड़ाई झगड़ा करने पर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 आमदा रहते है जिससे प्रार्थी अपने खेत में काश्त कार्य करने में कठिन हो गया है जिस कारण से उक्त रास्ते के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला–नागौर

यह है कि प्रार्थीया अपने खेत खसरा नंबर 185 रकबा 0.0700 हैक्टेयर में आने जाने के लिए रास्ता खसरा नंबर 170 से होकर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के खातेदारी खेत खसरा नंबर 187 रकबा 5.5200 हैक्टेयर के उत्तरी कोने से होकर पश्चिम व दशिणी माठ के सहारे सहारे अपने खेत खसरा नंबर 185 रकबा 0.0700 हैक्टेयर मे आने जाने के लिए 20 फुट चौड़ा रास्ता की भूमि का राज्य दर के अनुसार इसकी राशि भी नियमानुसार अप्रार्थीगण राज.सरकार को अदा करने को तत्पर है व तैयार है।

अतः प्रार्थीया द्वारा जरिये वकील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है किया कि मौजा लाम्पोलाई में प्रार्थीया अपने खेत खसरा नंबर 185 रकबा 0.0700 हैक्टेयर में आने जाने के लिए रास्ता खसरा नंबर 170 से होकर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के खातेदारी खेत खसरा नंबर 187 रकबा 5.5200 हैक्टेयर के उत्तरी कोने से होकर पश्चिम व दशिणी माठ के सहारे सहारे अपने खेत खसरा नंबर 185 रकबा 0.0700 हैक्टेयर में आने जाने के लिए 20 फुट चौड़ा दिये जाने की मांग की एवं उक्त की एवज में राजकीय नियमानुसार राशि अदा करने के लिए तैयार है।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए एंव राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 68 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार रियांबड़ी को धारा 69 व 70 में विहित प्रावधानो के अनुरूप उभयपक्षकारो की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु लिखा गया एवं अप्रार्थीगण को न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु सम्मन जारी किये गये।

तहसीलदार रियांबड़ी द्वारा प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते की जांच हेतू मौके अनुसार धारा 69 व 70 में विहित प्रावधानो अनुरूप जांच कर निर्धारित प्रपत्र में अपनी जांच रिपोर्ट पेश की गई। जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीया ने खसरा नंबर 185 में आने जाने हेतू रास्ते की मांग की है। जो मौका रिपोर्ट दिनांक 16.07.2024 में दर्शितनजरी नक्शा अनुसार रास्ता पिले कलर से चिन्हित प्रस्तावित है। जो मौजा लाम्पोलाई के गै.मु. रास्ता खसरा नंबर 170 से होता हुआ, अप्रार्थीण के खोतदारी खेत खसरा नंबर 187 के उत्तरी माठ के सहारे सहारे पश्चिम व दशिणी माठ के सहारे सहारे होते हुए लम्बाई 325 मीटर व चौड़ाई 6 मीटर प्रस्तावित रास्ता संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित किया हुआ है।

राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 अंतर्गत धारा 251ए एंव सरकारी नियम 68 से 70 नया रास्ता कायम करने की जांच पर पक्षकारो को नोटिस से सूचित किया गया। जो प्रार्थीया स्वयं द्वारा तामील किया गया तथा अप्रार्थीगण को दूरभाष पर सूचित किये जाने पर सूचना नोटिस उनकी पादूकलां में स्थित दूकार पर मुनीम से तामील करवाये जाना अवगत करवाया जाने पर संबंधित को सूचित किया गया। जिनमें दौराने जांच मौतबिरानसुशल, चुतराराम, शांतिलाल उपस्थित रहकर मौका रिपोर्ट में हस्ताक्षर किये तथा अप्रार्थी संख्या 2 अरूण उपस्थित परन्तु मौका रिपोर्ट में हस्ताक्षर करने से मना किया गया तथा किसी प्रकार की धारा 70 के तहत आपत्ति दर्ज नहीं करवाई गई।

तहसीलदार रियांबड़ी द्वारा प्राप्त उक्त जांच रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 ने हस्तगत खसरा नंबर 187 का बैचान राजूराम डांगा पुत्र दुर्गाराम जाति जाट निवासी पादुखुर्द तहसील रियांबड़ी को कर दिया जाने से उक्त को बतौर अप्रार्थी पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को सुनने व मनन किये जाने पर राजूराम डांगा पुत्र दुर्गाराम जाति जाट निवासी पादुखुर्द तहसील रियांबड़ी को बतौर अप्रार्थी संख्या 6 का पक्षकार बनाया गया। उक्त प्रकरण में प्रार्थीया द्वारा मांग किया गया रास्ता अब अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के खातेदारी खेत के बजाये अप्रार्थी संख्या 6 के खातेदारी खेत होना प्रस्तावित हुआ है।

वकील अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ। जिसमें अवगत करवाया गया कि मौजा लाम्पोलाई के खसरा नंबर 185 के चिपते ही दक्षिणी तरफ प्रार्थीनी की खातेदारी का अन्य खेत खसरा नंबर 257 रकबा 1.14 हैक्टेयर आया हुआ है। जो एक ही चक है तथा प्रार्थीनी के खेत खसरा नंबर 185 व 257 में आने जाने हेतु खसरा नंबर 1939/264 रास्ता से फंटकर खसरा नंबर 264 की उत्तरी माठ के सहारे सहारे होकर खसरा नंबर 256 की पूरवी व उत्तरी माठ के सहारे होकर प्रार्थीनी के खेत खसरा नंबर 257 व 185 तक रास्ता चला होना बताया गया है।

वकील प्रार्थीया की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीया ने अपनी बहस में बताया कि मौजा लाम्पोलाई में प्रार्थीया अपने खेत खसरा नंबर 185 रकबा 0.0700 हैक्टेयर में आने जाने के लिए रास्ता खसरा नंबर 170 से होकर अप्रार्थी संख्या 6 के खातेदारी खेत खसरा नंबर 187 रकबा 5.5200 हैक्टेयर के उत्तरी कोने से होकर पश्चिम व दशिणी माठ के सहारे सहारे अपने खेत में आने जाने के लिए प्रार्थीया के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। यदि ओर कोई सुसंगत, सरल या वैकल्पिक मार्ग मौके पर उपलब्ध होता तो श्रीमान तहसीलदार रियांबड़ी द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में उक्त का वर्णन करते परन्तु ऐसा कुछ श्रीमान द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया जो स्पष्ट करता है कि मांग किये गये रास्ते के अलावा प्रार्थीया के पास अन्य कोई और विकल्प नही होने से प्रार्थीया अपने खेत खसरा नंबर 185 रकबा 0.0700 हैक्टेयर मे आने जाने के लिए रास्ता खसरा नंबर 170 से होकर अप्रार्थी संख्या 6 के खातेदारी खेत खसरा नंबर 187

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला नागौर

बा 5.5200 हैक्टेयर के उत्तरी कोने से होकर पश्चिम व दशिणी माठ के सहारे सहारे प्रार्थीया अपने खेत सरा नंबर 185 रकबा 0.0700 हैक्टेयर मे आने जाने के लिए 20 फुट चौड़ा मार्ग प्राप्त किये जाने का र्थीया अधिकारिणी होने पर अपने हक के अन्दर रहते हुए रास्ते की मांग करती है जो प्रार्थीया को प्रदान रवाया जावें तथा प्रार्थीया उक्त की एवज में राज्य सरकार के नियमानुसार निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि का प्रार्थीया या सरकार को अदा करने को तैयार है। अतः न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार रवाये जाने का निवदेन किया।

वकील अप्रार्थी संख्या 6 ने अपनी बहस में अवगत करवाया कि प्रार्थीया के मौजा लाम्पोलाई की सरहद में खेत खसरा नंबर 185 व 257 प्रार्थीया के नाम से खातेदारी स्थित है जो एक दूसरे से चिपते हुए तथा खेत खसरा नंबर 257 में आने जाने हेतु मौके पर रास्ते की व्यवस्था है जो खसरा नंबर 1939/264 रास्ता से फंटकर खसरा नंबर 264 की उत्तरी माठ के सहारे सहारे होकर खसरा नंबर 256 की पूरवी व उत्तरी माठ के सहारे होकर प्रार्थीनी के खेत खसरा नंबर 257 व 185 तक रास्ता चला होना अवगत करवाते हुए उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने की दर्खवास्त की गई।

वकुलाय की की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड यथा जमाबंदीयां मौजा लाम्पोलाई एंव तहसीलदार रियांबड़ी की धारा 68 से 70 के तहत जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिससे पाया गया कि तहसीलदार रियांबड़ी द्वारा प्रार्थीया के मांग किये गये रास्ते को ही सरल, सुसंगत पाया जाकर मौका रिपोर्ट उपस्थित मौतबिरानों की मौजूदगी में तैयार की जाकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है तथा वकील अप्रार्थी संख्या 6 के बताये अनुसार अन्य किसी रास्ते का जिकर तहसीलदार रियांबड़ी द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में उल्लेखित नही किया जिससे प्रतीत होता है कि अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग प्रार्थीया के आवागमन हेतु मौके पर उपलब्ध नही है।

अतः उपस्थित वकुलाय की बहस पर मनन किये जाने, पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकर्ड, तहसीलदार रिपोर्ट का अध्ययन किये उपरान्तसमस्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि

आदेश

मौजा लाम्पोलाई में स्थित प्रार्थीया का खातेदारी खेत खसरा नंबर 185रकबा 0.0700 हैक्टेयर में आने जाने के लिए रास्तासंलग्न मौका रिपोर्ट दिनांक 16.07.2024 में पिले कलर से दर्शित अनुसार खसरा नंबर 170 से होकर अप्रार्थी संख्या 6 के खातेदारी खेत खसरा नंबर 187 रकबा 5.5200 हैक्टेयर के उत्तरी कोने से होकर पश्चिम व दशिणी माठ के सहारे सहारे प्रार्थीया के खेत खसरा नंबर 185 रकबा 0.0700 तकको गैर मुमकिन रास्ता घोषित किया जाता है। तहसीलदार रियांबड़ी की मौका रिपोर्ट दिनांक 16.07.2024 उक्त आदेश का भाग रहेगा। उक्त घोषित रास्ता की कुल लम्बाई 325 मीटर व चौड़ाई 6 मीटर रहेगी। जिसका कुल रकबा 0.1950 हैक्टेयर रहेगा।

तहसीलदार रियांबड़ी उक्त रास्ते की कीमत डीएलसी दर की दुगुनी राशि का आंकलन कर प्रार्थी से प्राप्त कर अप्रार्थी संख्या 6 को भुगतान कर उक्त रास्ते का राजस्व रेकार्ड में भूमि किस्म वर्गीकरण करते हुए गैर मुमकिन रास्ता का ईन्द्राज किया जाकर राजस्व नक्शे में तरमीम की जावें। तहसीलदार की जांच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा इस निर्णय का भाग रहेगा। यह रास्ता सार्वजनिक रूप से आने जाने के लिए रहेगा तथा इस पर किसी का हक, हकूक, व अधिकार नहीं रहेगा।

निर्णय आज दिनांक ......07/11/2024......को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारीरियांबड़ी
जिला नागौर

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला—नागौर